14/07/2017 पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रतिवादी उपस्थित। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। साक्ष्य वादी भी उपस्थित नहीं है। वादीगण एवं उनके अधिवक्ता को आवाज दिलाई गई परन्तु उपस्थित नहीं होने एवं साक्ष्य भी उपस्थित नहीं होने से साक्ष्य वादी बन्द की जाती है तथा वाद वादीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:29:02 IST
Reason: SelfAttested